maintain data on complaints received specifically against employees of nationalised banks for unsatisfactory service.

(b) Does not arise in view of reply to Part (a) of the question.

(c) and (d) RBI have reported that as a follow up of one of the recommendations of the Goiporia Committee on Customer Service in Banks, they have advised banks to make available to the customers brochures/ pamphlets in regional languages/ Hindi/English giving details of various schemes. RBI have further reported that banks have started implementing this recommendation.

Rewards for income tax evasion informers

190. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of Income Tax evasion informers rewarded during 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 and the details of the amount given to them;

(b) the number of informers who did get their reward during this period; and

(c) the reasons for not giving reward and by when they are likely to get reward?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमान

191. श्री विनय भाई हरिभाई शुक्ल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमानों से संबंधित "वर्किंग ग्रुप" की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पंचाट ने बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय दे दिया है और उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) समीकरण समिति की रिपोर्ट के साथ पठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एन.आई.टी.) के पंचाट के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह का गठन श्री आर० सी० गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था। सिफारिशों में स्थूल रूप से वेतनमानों में कर्मचारियों के फिटमेंट, कर्मचारी सेवा विनियमन और भर्ती तथा पदोन्नति नीति जैसे मुद्दे शामिल है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वेतनमानों में फिटमेंट से संबंधित सिफारिशों के संबंध में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों को 20 मार्च, 1993 को हिदायतें जारी की हैं। कर्मचारी सेवा विनियमों और भर्ती तथा पदोन्नति नीति के प्रारूप नाबार्ड और प्रायोजक बैंकों के परामर्श से तैयार किये गये हैं और उन्हें विधि मंत्रालय के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) से (ङ) एन.आई.टी. के पंचाट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नये वेतनमानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1-1-1991 से जारी कर दिया गया था। लेकिन 1-1-1991 से पूर्व की अवधि के लिये प्रोद्भूत बकाये का भुगतान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को